राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4 (373/160) आकाशि/अनु/004/ ... दि0 30 दिसम्बर, 2008

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमिक सत्र 2008-09 से पूर्व संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय / संकाय
	160	अजीतगढ़ कॉलेज	नीमकाथाना रोड, अजीतगढ़, सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व संचालित विषय संकाय

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी
4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी । ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस आधार पर जारी की जा रही है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार संयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. निजी महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों के अनुसार अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. प्रति वर्ष आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, सीकर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
8. बार कौंसिल आफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू इन्स्टीट्यूशनल ऐरिया, नई दिल्ली – 110002
9. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय रजिस्टर्ड ए.डी.,
10. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. संबंधित संस्था / महाविद्यालय पत्रावली।
12. रक्षित पत्रावली ।

प्राचार्य
अजीतगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अजीतगढ़ (सीकर) राज.

संयुक्त निदेशक (अनुदान)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्राचार्य
अजीतगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अजीतगढ़ (सीकर) राज.

/ (1)

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ4 (23)लेखा/आकाशि/अनुदान/2004-05/ 49 दिनांक 3 जुलाई, 2004

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर ।

विषय– सत्र 2004–05 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन एवं संस्था के द्वारा प्रस्तुत नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र के आधार पर निर्देशानुसार नवीन महाविद्यालयों को लिए सत्र 2004–05 में प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर 2004–05 के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है –

क्र. सं.	स्पोन्सरिंग ट्रस्ट/ संस्था का नाम	प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम	संकाय/विषय
1	श्री रामेश्वरलाल शर्मा बाल निकेतन संस्था, झुंझुनू –118	श्री रामेश्वरलाल शर्मा कन्या महाविद्यालय, अडूका, झुंझुनू	स्नातक स्तर पर कला संकाय– अनिवार्य विषयों सहित, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इतिहास, दर्शनशास्त्र, राज. शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, गणित । स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय– अनिवार्य विषयों सहित, एबी.एस.टी., व्यवसायिक प्रशासन, ई.ए.एफ.एम.। स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय– अनिवार्य विषयों सहित, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, प्राणीशास्त्र ।
2	आशा देवी शिक्षण संस्थान, कोटडा नीमका थाना, सीकर–130	श्रीमती आशा देवी महाविद्यालय, पाटन, नीमका थाना, सीकर	स्नातक स्तर पर कला संकाय– अनिवार्य विषयों सहित– इतिहास, अर्थशास्त्र, राज. शास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी सा., अंग्रेजी सा., संस्कृत सा., लोक प्रशासन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, गृह विज्ञान, भूगोल, चित्रकला, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान ।
3	राजपुताना शिक्षण एवं अनुसन्धान संस्थान, जयपुर– 173	राजपूताना महाविद्यालय, कोटपुतली, जयपुर	स्नातक स्तर पर कला संकाय– अनिवार्य विषयों सहित– संस्कृत, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राज. विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान ।
4	हैहय क्षत्रिय शिक्षा समिति, अलवर–197	सहस्त्रबाहु अर्जुन महिला महाविद्यालय, अलवर	स्नातक स्तर पर कला संकाय– अनिवार्य विषयों सहित– हिन्दी सा., अंग्रेजी सा., राज. शास्त्र, भूगोल,इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, गणित, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, सांख्यिकी, मनोविज्ञान, संगीत, संस्कृत ।
5	श्री गणपतराम मेमोरियल शिक्षा समिति, जयपुर–175	अजीतगढ कालेज अजीतगढ, सीकर	स्नातक स्तर पर कला संकाय– अनिवार्य विषयों सहित–हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, राज. विज्ञान, इतिहास, चित्रकला, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, अंग्रेजी सा. ।

1. राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय संचालित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि से 6 माह की अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप महाविद्यालय संचालन हेतु निर्माण करवा लेंगे /व्यवस्था करवा लेंगे एवं तदनुसार कालेज शिक्षा विभाग को सूचित कर इसका निरीक्षण करवा लेंगे ।
2. यदि संस्था निर्धारित समयावधि में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप भवन का निर्माण / व्यवस्था नहीं कर पाती है, तो राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः ही रद्द हो जायेगा एवं संस्था को इस निर्णय के विरूद्ध किसी भी रूप में न्यायालय में चुनौती देने का अधिकारी नहीं होगा ।
3. संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों/दिशा–निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
4. अस्थाई परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वार्द्ध की कक्षायें चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी प्रकार अगले वर्षों में चलायी जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है ।
5. शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे।
6. छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
7. स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
8. महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी ।
9. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।
10. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
11. ट्रस्ट/संस्था की सम्पूर्ण योजना की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की क्षमता का होना आवश्यक है ।

प्राचार्य
अजीतगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अजीतगढ़ पी. जी. कॉलेज (सीकर) राज.

12. स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं (यथा यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यताधारी नहीं होने पर एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक) के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था/महाविद्यालय द्वारा कालेज शिक्षा विभाग को अवगत करवाना आवश्यक होगा।

13. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।

14. संस्था द्वारा स्थायी जमा में जमा करायी गई राशि 5 वर्ष तक जमा रखनी होगी तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण कराया जावेगा।

15. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी।

16. उपरोक्त शर्तों के पालना नहीं करने पर राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् जारी किये गये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

भवदीय,

3.7.04

(बी.एल.आर्य)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. उप सचिव (जे), मा0मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. जिला कलक्टर,झुंझुनू/जयपुर/सीकर/अलवर।
8. अध्यक्ष/सचिव/मंत्री, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
9. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. कम्प्यूटर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली
12. रक्षित पत्रावली।

3.7.04

संयुक्त–निदेशक (अनुदान)
कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

सचिव
अजीतगढ़ पी. जी. कॉलेज
अजीतगढ़ (सीकर) राज.

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ4 (52)आकाशि/नि.सं./2004/·1036 दिनांकः– 27·05·19

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2019–20 से स्नातक स्तर पर नवीन संकाय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:–

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय
श्री गणपतराम गेगोरियल शिक्षा समिति, जयपुर।	अजीतगढ कॉलेज, अजीतगढ, सीकर	पं0 दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	स्नातक विज्ञान संकाय– गणित, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, भौतिकशास्त्र, भूगोल।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेंगी।
2. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
3. संस्था को समय–2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2019–20 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
11. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट **www.hte.rajasthan.gov.in** से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगा ।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

प्राचार्य
अजीतगढ स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अजीतगढ (सीकर) राज.

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, सीकर।
4. कुल सचिव, पं0 दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

सचिव
अजीतगढ पी. जी. कॉलेज
अजीतगढ (सीकर) राज.

संयुक्त–निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

Scanned by CamScanner